न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 156 / 2017 निर्णय दिनांक :– 05.04.2019

उनवानी :–

कमला पुत्री दुर्गालाल जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–वादीया–

बनाम

1. घासी लाल पुत्र मड्या जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
2. जमना बेवा मड्या जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
3. रूकमा पुत्री देवी लाल उर्फ देव्या जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
4. गोकली पत्नि भँवर लाल जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
5. भूरा पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
6. रामनाथ पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
7. हरनाथ पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
8. रामदेवा पुत्र छोटू जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
9. नन्दकिशोर पुत्र गोपाल जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
10. गणेश पुत्र गोपाल जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
11. कर्मा पुत्री गोपाल जाति माली नाबालिग।
12. छोटी पुत्री गोपाल जाति माली नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता रसाली पत्नि गोपाल जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
13. रसाली पत्नि गोपाल जाति माली निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान।
14. तहसीलदार दूनी जिला टोंक राजस्थान।

–प्रतिवादी–

उपस्थिति :–

श्री बी. एल. मीणा
अधिवक्ता वादीया व
प्रतिवादीगण 9 ता 13

आलोक शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 ता 3

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज धारा
88, 91, 209 आर.टी. एक्ट

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कैम्प कोर्ट दूनी में उपखण्ड अधिकारी देवली के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा नम्बर 846, 1588 व 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 जो जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 मे खाता संख्या 218 व 219 पर अंकित है, उक्त आराजियात रेस्पो0 सं0 1 व 2 के

दादा व ससुर की है। जो अकेले दुर्गा पुत्र देव्या उर्फ देवी लाल के नाम अंकित हो गई जबकि दुर्गा लाल उर्फ देवा के नाम की सम्पति मे देवी लाल के अन्य वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से रह गया है। इस प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने राजस्व शिविर मे दिनांक 28.06.2000 को रिपोर्ट पटवारी दूनी प्रथम, द्वितिय व गिरदावर हल्का व नायब तहसीलदार नगरफोर्ट तथा सरपंच की सिफारिश का रिपोर्टानुसार आदेश जारी किया जाता है कि आराजी वाके ग्राम दूनी नकल जमाबन्दी संम्वत 2054–57 खाता संख्या 218 व 219 में निम्न प्रकार राजस्व खाता संख्या 218 व 219 में निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो। सम्वत 2054 से 2057 मे प्रतिवादी (रेस्पो0) सं0 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी (रेस्पो0) सं0 3 का 1/3 हिस्सा है। तथा वादीया (अपीलांट) व रेस्पो0 सं0 11 ता 15 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीया ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील पेश की जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 मे खाता संख्या 846, 1588 व 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 कुल किता 7 रकबा 4.50 है0 जिसके हाल खसरा नम्बर 578, 1960, 1961, 1964, 1976, 3821 है, जो खाता संख्या 218 मे वाके ग्राम दूनी गोपाल पुत्र कमला पुत्री दुर्गा मु0 केसर बेवा दुर्गा के नाम खातेदारी मे दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 219 मे भी उक्त अंकन 1/2 मे वादीया (अपीलांट) तथा प्रतिवादी (रेस्पो0) 11 ता 15 का अंकन था, शेष अंकन प्रतिवादी (रेस्पो0) सं0 5 ता 10 के नाम दर्ज है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी सक्षम आदेश व बिना किसी क्षैत्राधिकार के प्रशासन गॉव के संग अभियान राजस्व शिविर मे जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्व एवं तथ्यों के प्रतिकूल है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। न्यायालय मान. राजस्व अपील अधिकारी को इसके सम्बन्ध में अन्य कोई पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त अपील के संबंन्ध में पत्रावली न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक से प्राप्त हुई जिसके अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.6.2000 अपास्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं उभयपक्ष की मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सबूत ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से अधिवक्ता बी. एस. सोलंकी व आलोक शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 की ओर से अधिवक्ता बाबू लाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया जिनको शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादीया (अपीलांट) व (रेस्पो0) सं0 9 ता 13 ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेज प्रदर्श कराये तथा लिखित बहस पेश की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने भी दस्तावेजी प्रतियां तथा लिखित बहस पेश की।

अधिवक्ता वादीया द्वारा पेश साक्ष्य शपथ पत्र जगदीश पुत्र हरदेव, कमला पुत्री दुर्गालाल व नानूलाल पुत्र चन्द्रा खटीक निवासी दूनी ने सशपथ बयान किया कि खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 कुल किता 7 रकबा 4.50 है0 जो वाके ग्राम दूनी तहसील देवली जिला टोंक में स्थित थी उक्त आराजीयात दुर्गा पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या जाति माली के द्वारा बनाई ओर बसाई गई थी ओर उक्त आराजीयात दुर्गा की स्वअर्जित सम्पति थी । दुर्गा पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात जर्ये विरासत के अनुसार वारिसान गोपाल पुत्री कमला व मु0 केसर बैवा दुर्गा के नाम बतौर खातेदारी में आई है। जिसके साबिक खसरा नं0 472, 473, 578, 960, 961, 964, 976, 3821 कुल किता 8 कुल रकबा 21 बीघा 2 बीस्वा है। गोपाल की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात में नन्दकिशोर, गणेश पुत्र करमा, छोटी पुत्री रसाल पत्नी गोपाल व कमला पुत्री दुर्गा के नाम से बतौर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। उक्त आराजीयात पर इनका का ही कब्जा काश्त है। जगदीश व चन्द्रा ने बताया कि वे देव्या को वर्षो से जानते है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली ने बिना किसी सक्षम आदेश व बिना किसी क्षैत्राधिकार के प्रशासन गांव के संग राजस्व शिविर अभियान में दिनांक 28.6.2000 को गलत प्रकार से निर्णय/आदेश पारित कर उक्त आराजीयात में रेस्पो0 के नाम 1/3, 1/3, रेस्पो0 घासी पुत्र मडया, जमना बैवा मडया, 1/3 रूकमा पुत्री देवीलाल 1/3 के नाम अंकन कर दिया जो गलत है। उक्त आराजीयात दुर्गा पुत्र देव्या की ही थी ओर उसी ने ही उसको काबिज काश्त बनाया था ओर अकेले का ही कब्जा काश्त था। माननीय न्यायालय ने उक्त आराजीयात को राजस्व केम्प में पुस्तैनी बताकर जो निर्णय किया गया है वो बिना दस्तावेज, बिना सबूत व बिना प्रार्थी/अपीलान्ट को सुने पारित किया गया था जो गलत है। उक्त आराजीयात पर ठिकाने के समय से ही दुर्गा पुत्र देव्या का कब्जा था।

अधिवक्ता वादी अपीलान्ट ने दस्तावेजात प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है– प्रदर्श–1 राजस्व शिविर दूनी दिनांक 28.06.2000, प्रदर्श–2 भू–प्रबंध विभाग की खतोनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2014 से 2028, प्रदर्श–3 नामान्तकरण पंजिका ग्राम दूनी नामान्तकरण संख्या 1225, प्रदर्श–4 जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत् 2046, प्रदर्श–5 जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत् 2050 से 2053, प्रदर्श–6 जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत् 2054 से 2057 तथा छायाप्रति जमाबंदी (खतेानी) ग्राम दूनी सम्वत् 2033 से 2036 पेश किए है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने छायाप्रति, खसरा गिरदावरी चर्तु वर्षीये ग्राम दूनी सम्वत 2071, जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत 2070 से 2073, भाग 2 भूमि की जोत की विशिष्टीया नकल नजरी नक्शा ग्राम पंचायत दूनी राजस्थान राज्य भू–प्रबंध विभाग खसरा पत्रक सम्वत् 2013, नकल जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत् 2054 से 2057, खसरा गिरदावरी (चर्तुथ वर्षीये) ग्राम दूनी सम्वत् 2070 से 2073, जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत 2070 से 2073,

जमाबंदी (खतोनी) ग्राम दूनी सम्वत 2070 से 2073, खाता संख्या 250, परिवार सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 15.04.2016 पेश किए है।

लिखित बहस वादी अपीलान्ट माननीय योग्य न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 घासी व जमना ने इस आशय का प्रार्थना पत्र राजस्व कैम्प दूनी में प्रस्तुत किया कि हाल खसरा नं0 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 जो जमाबन्दी सम्वत् 2054 से 57 में खाता सं0 218 व 219 में अंकित है उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के दादा की है अर्थात पुश्तैनी है। उक्त विवादित आराजीयात अकेले दुर्गा पुत्र देव्या उर्फ देवीलाल के नाम अंकित हो गई जबकि देव्या उर्फ देवीलाल के अन्य वारिसानों का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से रह गया। इस प्रकार माननीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा गलत रूप से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना प्रत्र के आधार पर दिनांक 28.6.2000 को राजस्व शिविर कैम्प दूनी के अन्दर निर्णय/आदेश पारित कर आदेश किया कि खाता सं0 218 एवं 219 सम्वत् 2054 से लेकर 2057 मं जमाबन्दी में अंकित आराजीयात में रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1 /3 हिस्सा है रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 3 का 1/3 हिस्सा है तथा वादी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 11 ता 15 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आदेश व निर्णय से पीड़ित होकर वादी/अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय टोंक के यहॉ पर अपील सं0 40/2013 प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.9.2013 को निर्णय पारित कर यह आदेश दिया कि वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर माननीय विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.6.2000 अपास्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सबूत ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

जमाबन्दी सम्मत् 2054–2057 में खाता सं0 218 व 219 में आराजी खसरा नं0 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 कुल किता 7 कुल रकबा 4.50 है0 जिसके साबिक खसरा नं0 578, 1960, 1961, 1664, 1976 व 3821 है, जो खाता सं0 218 वाके ग्राम दूनी में गोपाल पुत्र कमला पुत्री दुर्गा मु0 केसर बेवा दुर्गा जाति माली के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसी प्रकार खाता सं0 219 में भी उक्त अंकन 1/2 अपीलान्ट/वादी तथा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 11 ता 15 का अंकन है शेष अंकन रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 5 ता 10 के नाम दर्ज है।

योग्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केम्प दूनी में बिना किसी सक्षम आदेश व बिना किसी क्षेत्राधिकार के प्रशासन गॉव के संग राजस्व शिविर अभियान में दिनांक 28.6.2000 को जो निर्णय/आदेश पारित किया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर पारित किया गया है। उक्त आदेश करने से पूर्व अपीलान्ट/वादी व रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 11 ता 15 को किसी भी प्रकार का कोई विधिवत् रूप से सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार न तो नोटिस दिया और न ही आर्डर 7 रूप 1 के तहत किसी भी प्रकार का वादपत्र प्रस्तुत किया, न

ही अपीलान्ट/वादी एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 11 ता 15 को किसी भी प्रकार से सम्मन जारी किये गये और न ही अपीलान्ट/वादी को जवाब दावा व साक्ष्य सबूत करने का अवसर प्रदान किया। सारी प्रक्रिया राजस्व शिविर में मनमाने ढंग से अपीलान्ट/वादी को अपनी खातेदारी के अधिकारों से वंचित करने के लिये अपनाई गई है। इस प्रकार से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधी विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट/प्रविवादी सं0 1 व 2 के पिता व ससुर मड्या पुत्र देवीलाल के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई और न ही उक्त आराजीयात देवीलाल उर्फ देव्या के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प में उक्त आराजीयात को पुश्तैनी बताकर जो निर्णय पारित किया गया है वह बिना दस्तातेज बिना सबूत व बिना सुने पारित किया गया है। इसकी कानून में किसी भी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है।

उक्त विवादित आराजीयात दुर्गा पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या के द्वारा बनाई व बसाई गई है जो स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में आती है जिसमे अन्य किसी का हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं बनता है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का किसी भी प्रकार का कानूनी वैधानिक अधिकार नहीं है। दुर्गा के फौत होने के बाद उक्त आराजीयात उसके पुत्र गोपाल, पुत्री कमला पत्नि केसर के नाम जरिये विरासत से आई उक्त भूमि पर गोपाल व केसर के नाम जरिये विरासत से आई उक्त भूमि पर गोपाल व केसर के वारिसान कमला देवी वगैरह काबिज काश्तकार रहे है।

उक्त विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट/वादी ने भू–प्रबन्ध सैटलमेन्ट विभाग की खतौनी बंदोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2014–2029 की पेश की है। जिसमें स्पष्ट रूप से उक्त विवादित भूमि ठाकूर राव भगवतसिंह से दुर्गापुत्र देव्या जाति माली के नाम लगी है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अकेले दुर्गा पुत्र देव्या जाति माली के नाम के नाम दर्ज रिकार्ड आई है जो अपीलान्ट/वादी के पिता है। इसके अलावा अपीलान्ट/वादी ने अपील के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 पेश की है जिसमें भी दुर्गा पुत्र देवीलाल का नाम बतौर काबिज, काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा भू–प्रबन्ध विभाग का बंदोबस्त कार्यवाही का पर्चा लगान सम्वत् 2042 से 2065 पेश किया है। जिसमें भी खातेदार का नाम गोपाल पुत्र दुर्गा, कमला पुत्री दुर्गा व मु0 केसर बेवा दुर्गा के नाम खातेदारी दर्ज है। इसके अलावा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 2019 की प्रस्तुत की है। जिसमें भी दुर्गा पुत्र देव्या का नाम दर्ज है इससे भी स्पष्ट रूप से उक्त विवादित भूमि दुर्गा पुत्र देव्या के नाम स्वअर्जित के रूप में रही है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में किसी भी प्रकार से किसी खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर दिये खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से निरस्त नहीं किये जा सकते है। धारा 63 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी खातेदार के अधिकार को समाप्त करने के निम्न प्रकार से कारण बताये गये है जो कि इस प्रकार है–

1. जब वह ऐसा उत्तराधिकारी छोडे बिना मर जाता है।

2. जब वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसे समर्पण या परित्याग कर दे।
3. जबकि उसकी भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अवाप्त कर ली गई हो।
4. जबकि वह आधिपत्य से वंचित कर दिया गया हो और आधिपत्य पुनः लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गया हो।
5. जब वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेदखल कर दिया गया हो।
6. जबकि वह उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेच दे या दान कर दे।
7. यदि वह कानून द्वारा माननीय परिपत्र प्राप्त किये बिना या कानूनी अधिकार बिना भारत से किसी विदेश चला गया हो।

उक्त सभी आज्ञापक शर्तो के अलावा किसी व्यक्ति के खातेदारी के अधिकारों को अवसान नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अपीलान्ट/वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जा सके।

रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने प्रशासन राजस्व शिविर में किये गये गलत आदेश के आधार पर भरे गये नामान्तकरण के आधार पर खसरा नं0 1599, 2488 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं0 4 व 7 को अवैध रूप से बेचान किया गया है जो कानूनी रूप से प्रथम दृष्टया ही अपीलान्ट/वादी के हितों के प्रति शून्य एवं निष्प्रभावी है जिसको राजस्व न्यायालय द्वारा अकृत व शून्य घोषित करने का राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 207 में अधिकारिता है।

रेस्पोडेंट/प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोद्य टोंक के यहॉ पर अपील में माननीय न्यायालय के समक्ष आर्डर 41 रूल 27 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा गिरदावरी पेश की थी जिसके संबंध में भी निवेदन है कि खसरा गिरदावरी मात्र एक आकस्मिक प्रविष्टि है। खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिलते है। खसरा गिरदावरी वार्षिक अभिलेख अर्थात जमाबन्दी नहीं है उसको किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकारों से नहीं जोड़ा जा सकता है। रेस्पोडेंट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई नकल खसरा गिरदावरी मात्र एक खसरा नम्बर के संबंध में प्रस्तुत की गई है जिसमें भी देव्या के पिता का नाम मेदा बताया है जबकि वास्तव में देव्या के पिता का नाम मांगीलाल है जिससे भी उक्त खसरा गिरदावरी साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। जो न्यायिक दृष्टांत–आर0एल0डब्लू0 2009 प्रथम राजस्थान पेज 233 में स्पष्ट है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी ने किसी प्रकार से कोई दस्तावेज इस प्रकार का उक्त विवादित भूमि बाबत् पेश नहीं किया जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त आराजीयता देवीलाल उर्फ देव्या के नाम रही हो। माननीय न्यायालय कैम्प दूनी ने बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त को अपनाये उक्त आराजियात को रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो बिना अपीलान्ट/वादी को सुने व बिना साक्ष्य सबूत के किया गया है जो प्रथम दृष्टया खारिज है।

उक्त आराजियात में शुरू से की दुर्गालाल एवं दुर्गालाल के वारिसान का कब्जा काश्त मौके पर रहा है और दुर्गालाल ने ही उक्त आराजियात को काबिल काश्त बनाकर मौके पर काबिज काश्त रहा है। एवं उसकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान काबिज काश्तकार रहे है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट/वादी का अपील/वाद स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व शिविर दूनी का आदेश दिनांक 28.6.2000 का निरस्त किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991 व 1599 कुल किता 7 कुल रकबा 4.50 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 578, 1960, 1961, 1964, 1976, 3821 है को अपीलान्ट/वादी एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 11 ता 15 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता प्रतिवादी (रेस्पोडेन्ट) रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 3 की ओर से लिखित बहस पेश की है जिसके अनुसार अपीलान्ट ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय मे एक अपील अन्तर्गत धारा 223 रा0टी0 एक्ट के तहत योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली के निर्णय दिनांक 28.6.2000 के विरूद्व पेश किये उक्त अपील इस आशय की पेश कर रखी है कि उक्त आराजी भूमि साबित खसरा नं0 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 है तथा हाल खसरा नं0 578, 1960, 1961, 1964, 1976, 38, 21 है जो खाता सं0 218 व 219 वो वाके ग्राम दूनी तह0 दूनी जिला टोंक राजस्थान में कमला पुत्री दुर्गा कोम माली के खातेदारी में दर्ज है उक्त भूमि कमला के पिता द्वारा खरीद करने के पश्चात रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 है पुस्तैनी बताकर अपने नाम दर्ज करवा ली आदि। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के पिता दुर्गालाल, मडिया पुत्र देबी लाल, व रूकमा पुत्री देबीलाल के तीन वारिस थे और उक्त सम्पति देबी लाल की पैतृक सम्पति थी और इसी कारण से रेस्पोडेन्ट स0 1 ता2 मडिया पुत्र देबी लाल व न0 3 रूकमा पुत्री देबी लाल के वारिस होने के कारण से रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 को दिनांक 28.6.2000 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा राजस्व शिविर दूनी मे नामान्तकरण भर कर रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 के नाम तस्दीक काराया है इस कारण से उक्त पुस्तैनी भूमि होने से रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 का हक व हिस्सा है। दिनांक 28.6.2000 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा राजस्व शिविर दूनी मे जो नामान्तकरण स0 739 दिनांक 25.9.2010 को भरा गया है जिसमे की कमला का कोई हक व हिस्सा नही है जो निर्णय पारित किया गया है व सही पारित किया गया है यदि कोई हिस्सा बनता है तो कमला अपने पिता दुर्गालाल के हिस्से की सम्पति मे से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 ने अपने परिवार का सजरा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरपंच ग्राम दूनी पंचायत दूनी को एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिससे भी यह भली भाति प्रकट होता है कि स्व0 देवी लाल उर्फ देव्या पुत्र मेदा के 2 पुत्र दुर्गा व मडिया तथा एक पुत्री रूकमा थे। उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है तथा विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण अपनी अपील मे पेश नही किया गया है जब कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को पूर्व मे उक्त नामान्तकरण भरने का मौके पर ही पूर्ण रूप से ज्ञान था इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के यहां दिनांक 28.6.2000 के

2

आदेश के नामान्तकरण निरस्त करने की अपील पेश कर रखी है जो अपील दिनांक 5.4.2012 को पेश की गई है इस कारण रेस्पोडेन्ट को पूर्ण रूप से उक्त निर्णय का ज्ञान है इस कारण भी अपील अपीलान्ट मय हर्जे खर्चे खारीज किया जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट स0 1 व 2 ने देवली उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा व बटवारा तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है जिसमे वादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की तामिल हो चुकी है जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कर रखा है इस प्रकार से अपीलान्ट को पूर्ण रूप से दिनांक 28.6.2000 के आदेश की जानकारी की उक्त अपील केवल मनघढ़त तथ्यो के आधार पर पेश की गई है जो खारीज किये जाने योग्य है। दिनांक 28. 6.2000 को जो आदेश पारित किया गया है व पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर रेस्पोडेन्ट स0 1 के पिता व 2 के पति के हक मे स्व0 देव्या पुत्र मेदा की संतान होने के कारण पारित किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट स0 3 रूकमा पुत्री देव्या है जो नामान्तकरण भरा गया है जो सही भरा गया है जिसमे अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नही है अपील अपीलान्ट मय हरजा/खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्ववान अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार करते समय भू–राजस्व अधिनियम के नियम 119 से 121 की पालना नही कर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है।

अपीलान्ट स0 1 ता 3 ने रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 6 के विरूद्ध एक अपील न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय मे अपील स0 75/2015 पेश कर रखी है जिसमे अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक से पत्रावली तलब होने के आदेश दिनांक 5.11.2015 को हो चुके है इस लिए अब उक्त अपील जो रिमान्ड होकर न्यायालय मे आई है उसका जब तक अपीलीय न्यायालय का फैसला नही हो जाता तब तक इस पत्रावली का कोई महत्व नही है इस कारण भी उक्त अपील मय हरजे खर्चे खारीज किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट जो न्यायालय अतिरिक्त संभाग आयुक्त अजमेर मे पेश की गई है उसको स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.6.2015 को निरस्त किया जा कर नामान्तकरण स0 739 को यथावथ रखे जाने के आदेश न्याहित मे प्रदान करे तथा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अधिवक्ता वादी(अपीलान्ट) व अधिवक्ता प्रतिवादी(रेस्पोडेन्ट) ने मुख्यतया अपनी लिखित बहस के तथ्यो को ही दोहराते हुए अधिवक्ता वादी(अपीलान्ट) ने बताया कि इसी आराजी से सम्बन्धित एक अन्य मामले में प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 ने एक अपील मान. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक में अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. एक्ट विरूद्ध आदेश एस.डी.ओ सेकेन्ड कैम्प 2000 दिनांक 28.06.2000 के विरूद्ध की जिसके निर्णय दिनाक 17.06.2015 के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर लिख कि राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णयानुसार निर्णय दिनांक 28.06.2000 का निरस्तीकरण किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिसके अनुसार वादी (अपीलान्ट) ने आदेश एस.डी.ओ सेकेन्ड कैम्प 2000 दिनांक 28.06.2000 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक में चलैन्ज किया जिसमें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 28. 6.2000 अपास्त किया जाकर मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं उभयपक्ष की मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सबूत ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं उभयपक्ष की मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया जिसमें अधिवक्ता वादी(अपीलान्ट) ने अभिलेखिय साक्ष्य, दस्तावेजात प्रदर्श व लिखित तथा मौखिक बहस पेश की जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी(रेस्पोडेन्ट) कई अवसर दिये जाने के बावजूद ने कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया और न ही दस्तावेजात प्रदर्श करवाये और केवल दस्तावेजो की छाया प्रतियां पेश की और लिखित व मौखिक बहस की। मौखिक बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आलोक शर्मा ने कथन करते हुए प्रार्थना की कि वे परिस्थितियांवश पत्रावली में साक्ष्य व दस्तावेज प्रदर्श नहीं करा पाये जिसका अवसर देते हुए निर्णय किया जावे।

प्रदर्श–1 में राजस्व शिविर दूनी निर्णय दिनांक 28.06.2000 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 भू–प्रबन्ध विभाग (सैटलमैन्ट) विभाग की खतौनी बन्दोबस्त संम्वत 2041 से 2038 के कॉलम 3 में ठाकुर राव भगवत सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड है और कॉलम 5 में नाम कृषक में दुरगा पुत्र देव्या जाति माली सा0 देह का नाम अंकित की प्रमाणित प्रति में दर्ज है, प्रदर्श–4 नामांतकरण पंजिका ग्राम दूनी के कॉलम 5 में दुर्गा पुत्र देव्या कौम माली सा. देह खातेदार अंकित है तथा कॉलम संख्या 11 में गोपाल पुत्र कमला पुत्री दुर्गा व मु. केसर बेवा दुर्गा कौम माली सा. देह खातेदार अंकन की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–5 जमाबंदी (खतौनी) संम्वत 2046–49 व 2050–53, 2054–57

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 से पी. डब्ल्यू–2 पेश किये। अनेक अवसरो के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो पर जिरह नही की । अतः जिरह बन्द की गई। प्रतिवादी द्वासरा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गय। वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसकी प्रति प्रितिवादी को दिलवायी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज व लिखित बहस प्रसतुत की गई। पुनः वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27.03.19 को पत्रावली पर बहस की जिसमें अधिवक्ता बाबूलाल मीणाा और आलोक शर्मा द्वारा लिखित बहस में उक्त तथ्यो को दोहराया गया।

प्रकरण में प्रितिवादी की तामिल होने के उपरान्त एवं उपस्थित प्रतिवांदी अधिवक्ता को अनेक अवसर न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराने पर भी जवाब साक्ष्य एवं वादी के साक्ष्यो से जिरह नही की गई है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्श नहीं कराये गये है।

पत्रावली का हमारे द्वारा आद्योपान्त अध्ययन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दथ्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तातेज प्रदर्श नही होने से निर्णय के लिए पठनीय नही पाये गये जिसके अभाव में प्रतिवादी के दस्तावेजो पर विचार नहीं किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्य का हमारे द्वारा गहन मनन किया जाकर हमें यह उचित प्रतीत होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–2 भू–प्रबन्ध सैटलमेन्ट विभाग खतौनी बन्दोबस्त 2014–29 के समस्त ख. नं. 472, 473, 578, 960, 971, 964, 976, 1794, 1795, 1796, 3821, ठाकुर राव भगवन्त सिंह का कॉलम नं. 3 में अंकित है व कॉलम नं. 5 में दुर्गा पुत्र देव्या जाति माली का कृषक के रूप में वर्णन है। प्रदर्श–3 में नामांन्तकरण पंजिका ग्राम दूनी में दुर्गा की मृत्यु पर उसके वारिसो गोपाल पुत्र कमला पुत्री पिसरान दुर्गा व मु. केसर बैवा दुर्गा कौम माली के नाम नामांन्तकरण दर्ज किया गया है। प्रदर्श–4 में दुर्गा के वारिसो का नाम जमाबन्दी 2040 में है। क्योकि प्रतिवादी के दस्तावेजो को प्रदर्श नहीं कराये जाने के कारण पठनीय नहीं होने से उनको निर्णय में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसे पूर्व में इस न्यायालय द्वारा कैम्प दूनी में किये गये निर्णय को निरस्त किया जाता है एवं जमाबंन्दी संम्वत 2054–2057 वाके ग्राम दूनी के खाता संख्या 218 व 219 के ख. नं. 846, 1588, 1590, 1598, 2488, 4991, 1599 कुल किता 7 कुल रकबा 4.50 है0 को दुर्गा पुत्र देव्या के विधिक वारिसान कमला पुत्री दुर्गालाल नन्द किशोर, गणेश पुत्र कर्मा, छोटी पुत्री गोपाल, रसाली पत्नी गोपाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पक्षकारान को नवीन दस्तावेजो एवं सबूतो के आधार पर उक्त आराजी के सम्बन्ध में नया वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता रहेगी।

5/4/18

उपखण्ड अधिकारी
देवली